तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2093/2004/गंगानगर सूरजाराम बनाम बुद्धराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 06–02–2020

यह अपील भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने प्रार्थी की अपील को अस्वीकार किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि पक्षकारों के मध्य पंचायती राजीनामा के आधार पर सहमति मानते हुए रास्ता स्वीकृत करना उचित है, जबकि विधिक प्रावधानों के तहत तथ्यों की जांच की जानी चाहिए थी। आगे बताया कि मामले में विचारण न्यायालय ने प्रकरण में निष्कर्ष अंकित किया कि किला नम्बर 5 व 6 के खातेदार हनुमान के द्वारा शपथ पत्र पेश किया कि व रास्ता देने हेतु तैयार है, उसने किला नम्बर 5 व 6 की रास्ता की ऐवज में मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है इसलिए उसे रास्ता स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं है, इस तथ्य को भी एक आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2093/2004/गंगानगर सूरजाराम बनाम बुद्धराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरन्दाज कर रास्ता स्वीकृत कर दिया है, जबकि विधिक स्थिति यह है कि प्रश्नगत रकबा वर्ष 1955 से पूर्व की यह मौरूसी खातेदारी की भूमि है और इस पर उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर को रास्ता मंजूर करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ऐसे में जहां अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने पर किसी प्रकार का निर्णय प्रदान नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी ने एक पंचायती राजीनामा को पक्षकारों के मध्य स्वीकृति मानते हुए आलोच्य रास्ता स्वीकार कर लिया है, जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 25-06-2002 में इस पंचायती राजीनामे को नहीं माना गया है तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण को दस्तावेजों की समुचित जांच हेतु प्रेषित किया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रस्तुत अपील में सारवान कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-05-2004 एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-07-2003 को निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना कहा है तथा बताया कि अपीलार्थी ने हस्तगत अपील में किन्हीं ऐसे नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। उनका कहना है कि पक्षकारों के मध्य अर्थात बुधराम व सूरजाराम के साथ दिनांक 28-11-1994 को हुए पंचायती राजीनामे के अनुसार प्रश्नगत स्थान पर किला नम्बर 15, 16 व 25 में पश्चिम दिशा में एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया था, जिसकी पुनः अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2093/2004/गंगानगर सूरजाराम बनाम बुद्धराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–06–2002 के द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया कि सूरजाराम के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के बाबत पूर्ण जांच करें कि इन दस्तावेजों का प्रकरण की परिस्थिति में क्या असर पडता है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश एवं उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

प्रश्नगत अपील कतिपय आधारों पर प्रस्तुत की गई है, जिनका हम सीधे ही विवेचन किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलान्ट का यह आक्षेप है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निष्पादित राजीनामा दिनांक 30–03–1999 को आधारित कर अपने निर्णय पारित किए है, वह त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

उक्त आक्षेप के परिप्रेक्ष्य में रेकार्ड में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित राजीनामा दिनांक 30–03–1999 उपलब्ध है, जिसमें निम्नानुसार ईबारत की गई हैः–

''जो कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में आज की तारीख पेशी है जिसमें पंचायत ने हमारा दोनों पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया गया है। उक्त प्रकरण में हम किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनाना चाहते है। पहले रास्ता मुरब्बा संख्या 20 के किला नम्बर 15, 16 व 25 की पूर्व दिशा में मंजूर किया गया था, वह हम केन्सल करवाना चाहते है तथा इसके स्थान पर पश्चिमी दिशा में रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो हम मिकरान को कोई एतराज नहीं है। इसलिए मौजूद सूरत में विचाराधीन पत्रावली का निर्णय किया जावे''।

उपलब्ध समग्र रेकार्ड का विधिवत करने के उपरान्त यह परिलक्षित होता है कि उक्त राजीनामें में किए गए उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2093/2004/गंगानगर सूरजाराम बनाम बुद्धराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होकर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में इस मत की व्याख्या की है कि किसी प्रकरण में दोनों पक्षकारान की स्वीकारोक्ति के बाद न्यायालय किसी अन्य साक्ष्य की अपेक्षा नहीं कर सकता।

हमारे द्वारा समस्त रेकार्ड तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का रेकार्ड के आधार पर सम्यक परीक्षण बाद स्थिति यह प्रकट होती है कि दोनों ही न्यायालयों ने मामले में सारगर्भित विवेचन किए है, जिनमें इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सांराशतः यह पाया जाता है कि प्रस्तुत अपील सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने अपील मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। अतः हमारे मतानुसार प्रस्तुत अपील में विधि का कोई बिन्दु उपलब्ध नहीं है तथ्यों के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होंता है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील को सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-05-2004 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2093/2004/गंगानगर सूरजाराम बनाम बुद्धराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए